तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की ओर से बहस प्रार्थना पत्र की गई। जो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि वाके माल नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 1645, 1725, 1359 भूमि स्थित है। जिसमें भूलवश मेरा नाम महावीर सैनी के स्थान पर रामनरेश दर्ज करवा दिया गया है जबकि मेरा सही नाम आधार कार्ड एवं पेनकार्ड राशन कार्ड में महावीर सैनी पुत्र स्व0 श्री हीरालाल दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम राजस्व जमाबंदीयों में रामनरेश के स्थान पर महावीर सैनी नाम अंकित करने का आदेश प्रदान करे। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने रामनरेश का सही नाम महावीर सैनी होना बताया और बताया कि हीरालाल जो महावीर के पिता है जिनका फौती नामान्तरकरण की जॉच के समय सहवन से ग्राम के लोगो ने महावीर के स्थान पर रामनरेश बता दिया था। महावीर एवं रामनरेश एक ही व्यक्ति के नाम है। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड एवं पहचान पत्र की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रामनरेश एवं महावीर सैनी एक ही व्यक्ति के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 1645, 1725, 1359 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामनरेश पुत्र हीरालाल के स्थान पर रामनरेश उर्फ महावीर सैनी पुत्र हीरालाल दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिनांकः 18/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी लाडपुरा, कोटा	